न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :– 2019 / 00005 निर्णय दिनांक :– 24.03.2022

1– रामेश्वरराम पुत्र जगन्नाथराम जाति जाट निवासी पीलवा
2– मेवाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी पीलवा
3– गोविन्दलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन
4– सुरेश कुमार पुत्र देवकरण जाति महाजन निवासी आदित्य मिल्स मन्दिर के सामने एच.पी.गैस ऐजेन्सी के पास वाली गली अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ ।

.... वादीगण

बनाम

1– टोडूराम पुत्र श्री हीराराम जाति भांबी निवासी कंकेडियास
2– देवाराम पुत्र मांगुराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनगंज किशनगढ
3– सरजूदेवी बेवा लिछमणराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल चितवन गार्डन गोकुल के पास बिला कृश्णापुरी मदनगंज किशनगढ
4– छोटूराम पुत्र लिछमणराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनंगज किशनगढ
5– तोलादेवी बेवा नोरतराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनंगज किशनगढ
6– कमली पुत्र नोरतराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनंगज किशनगढ
7– ममला पुत्री नोरतराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनंगज किशनगढ
8– किशोर पुत्र नोरतराम जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विष्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनंगज किशनगढ
9– श्रवण पुत्र मांगूराम जाति रैगर फोत के कायम मुकाम
9–1 तुलसी पुत्री श्रवणराम पत्नी छीगनाराम निवासी रैगर मोहल्ला आलनियावास तहसील रियांबडी जिला नागौर
10– शंकरलाल पुत्र मांगूराम कौम रैगर फोत के कायम मुकाम
10 / 1 – लाडूडी बेवा शंकरलाल
10 / 2 – मैना पुत्री शंकरलाल
10 / 3– बाबूलाल पुत्र शंकरलाल
10 / 4– धनश्याम पुत्र शंकरलाल
10 / 5 – प्रेमाराम पुत्र शंकरलाल जाति सभी रैगर निवासीगण पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनंगज किषनगढ जिला अजमेर।
11– मोहनलाल पुत्र मांगूराम जाति रैगर फोत के कायम मुकामान 11 / 1 – वीकी पुत्र मोहनलाल जाति रैगर निवासी पीलवा हाल रतन टायर विश्वकर्मा स्कूल के पास रूपनगढ रोड मदनगंज किशनगढ़
11 / 2 पुसी उर्फ पुष्पा पुत्री मोहनलाल पत्नी संग्रामजी टोलीया मु0पो0 चिता खेडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर
12– लिछमण उर्फ लछीराम दत्तक पुत्र गलकूडी जाति जाट फोत के कायम मुकाम –
12 / 1– रामचन्द्र पुत्र रधुनाथराम
12 / 2 –दुर्गाराम पुत्र रधुनाथराम
12 / 3– जीवणराम पुत्र रधुनाथराम
12 / 4– जयप्रकाश नारायण पुत्र रधुनाथराम
12 / 5– मदनमोहन पुत्र रधुनाथराम

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

12/6 –हरीश पुत्र रधुनाथराम
जाति सभी जाट निवासीयान कंकेडियास तहसील परबतसर जिला नागौर
13– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदारजी परबतसर (भूमिधारी)

..................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड बंटवारा व स्थाई निशेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गोपाल पुनिया, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल पुनिया ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कंकेडियास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 121, 122, 131, 167, 168, 169, 171, 195, 196, 197 कुल रकबा 10.12 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उपरोक्त आराजीयात मे से वादीगण सं 1 व 2 तथा स्वर्गीय भुवानाराम ने इसके मूल खातेदार रधुनाथराम पुत्र श्रीमती झमकूडी बेवा पुराराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 25–7–1977 के द्वारा खसरा नम्बर 66 रकबा 22 बीधा 18 विस्वा बारानी 2 मेसे 1/2 हिस्सा अर्थात 11 बीधा 9 विस्वा, तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 44 बीधा 16 विस्वा मे से 8 बीधा 11 विस्वा अगूणी तरफ कुल रकबा 20 बीधा भूमि क्रय तथा वादीगण सं 1 व 2 तथा साथ क्रेता रहे स्वर्गीय भुवानाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात उसके वारिसान श्रीमती मीरादेवी व नारायणी देवी पुत्रीया भुवानाराम से उसका सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर लिया तथा राजस्व रेकर्ड मे वादीगण सं 1 व 2 का नाम सम्पूर्ण 20 बीधा पर दर्ज हो गया तथा इसी प्रकार उपरोक्त आराजीयात मे से वादी सं 3 व 4 के पिता स्वर्गीय देवकरण ने इसके मूल खातेदार से दिनांक 3–9–1971 के द्वारा सायरी जोजे जगन्नाथजी पुत्री खीयारामजी जाति जाट साकिन भादवा हाल कंकेडियास से खसरा नम्बर 56 रकबा 44 बीधा 16 विस्वा बारानी 2 खसरा नम्बर 66 रकबा 22 बीधा 18 विस्वा बारानी 2 कुल रकबा 67 बीधा 14 विस्वा मे से 1/4 हिस्सा पश्चिमी तरफ का अर्थात 16 बीधा 18 विस्वा 10 विश्वासी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की खरीद की जिस पर वादी सख्या 3 व 4 लगातार काबिज चले आ रहे है तथा वादी सं 4 के पिता देवकरण का स्वर्गवास होने के पश्चात विधिवत से नामान्तरकरण वादी सं 4 के नाम दर्ज है एवम् उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से विभाजन हो रखा है तथा सह–खातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है लेकिन विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

रूप से बंटवारा भूमिधारी की सहमति से नहीं हो रखा है तथा वादीगण सं 1 व 2 वर्तमान में अपनी खरीद सुदा कब्जा सुद भूमि जो सम्पूर्ण कृषि भूमि के पूर्वी तरफ 20 बीधा पर काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर उनका पुख्ता कब्जा है बाड खन्दक युक्त है। तथा वादीगण सं 3 व 4 का हिस्सा रकबा 16 बीधा 18 विस्वा 10 विष्वासी पश्चिमी तरफ है जिस पर वादीगण सं 3 व 4 काबिज चले आ रहे है जो पुख्ता बाड खन्दक युक्त है इसी अनुसार प्रतिवादी सं 1 टोडूराम का हिस्सा उत्तरी तरफ है तथा मांगूराम रैगर के वारिसान का हिस्सा जो प्रतिवादी सं 2 लगायत 11 है का हिस्सा मध्य का है जिस पर वे काबिज चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 121, 122, व 131 जो वर्तमान मे एक ही खाते मे है लेकिन मौके पर शेष भूमि से करीब 2 कि.मी दूर स्थित है जिस पर प्रतिवादी सं 12 के वारिसान काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सेरीग्रेशन जमाबन्दी अभियान चलाया गया जिसमे सह–खातेदारान का हिस्सा वास्तविकता के अनुसार दर्ज किया जाना था लेकिन कर्मचारियो की भूल से वादीगण का हिस्सा कम कर दिया तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा बडा दिया जिसे वादीगण माफिक पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। तथा अपना हिस्से का बंटवारा बाई मिटस एवं बाउण्डस करवाकर अलग होल्डिग कायम करवाने के अधिकारी है तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा लिपिकीय भूल करते हुये वादी रामेश्वरराम के नाम के स्थान पर रामदेव उर्फ रामेश्वरराम दर्ज कर दिया गया जबकि विक्रय विलेख मे भी रामेश्वरराम दर्ज है तथा नामान्तरकरण मे रामेश्वरराम दर्ज है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी मे रामदेव उर्फ रामेश्वराम दर्ज हो रखा है जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी सं 1 अधिकारी है तथा वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा घोषित किये जाने की तथा दुरूस्ती रेकर्ड की इस्तदुआ चाही है।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.09.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 रामेश्वरराम, पीडब्ल्यू 2 मल्लाराम, पीडब्ल्यू 3 रामेश्वर, पीडब्ल्यू 4 रघुवीरराम उपस्थित हुये तथा उनके बयान कलमबद्व करवाये गये तथा साक्ष्य बन्द की गई तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 16 दस्तावेजात प्रस्तुत किये तत्पश्चात वकील वादीगण की बहस

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सुनी गई। जाकर वादीगण का वाद दिनांक 16.02.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मंगवाया गया। तहसीलदार परबतसर ने उभय पक्षकारों की उपस्थिति मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.03.2022 को तैयार कर प्रस्तुत किया है। बंटवारा प्रस्ताव को वकील वादी में पढ़ समझ कर सही होना स्वीकार किया है, तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषाणा की जाकर अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। जिससे वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम कंकेडियास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 121, 122, 131, 167, 168, 169, 171, 195, 196, 197 कुल रकबा 10.12 हैक्टयर भूमि बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण की अलग – अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)